

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, राधाकुण्ड जनपद मथुरा/बीघापुर जनपद उन्नाव।

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सोनभद्र जनपद सोनभद्र।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सम्बंध में कतिपय निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	मथुरा	न.पं. राधाकुण्ड	सं०-आरएफ395/नौ-9-2013-105आरएफ/13, दि. 26.07.13,	70.00
2	उन्नाव	न.पं. बीघापुर	सं०-आरएफ508/नौ-9-2013-108आरएफ/13, दि. 27.08.13,	40.00
3	सोनभद्र	न.पा.परि. सोनभद्र	सं०-आरएफ317/नौ-9-2013-98आरएफ/13 दि. 03.07.13,	80.00

2. उपरोक्तानुसार कालम 03 में उल्लिखित नागर निकायों को नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.06.16 तक इस शर्त के साथ अंतिम रूप से बढ़ायी जाती है कि उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। अतः निकाय द्वारा यथा शीघ्र स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के

भीतर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.16 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सम्बंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- कोषाधिकारी, मथुरा, उन्नाव सोनभद्र।
- 4- सम्बंधित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
- 8- गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।